


7-5-24

पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित,
 तहसीलदार माण्डल से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ
 जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी
 ने विभाजन प्रस्ताव पर बहस करनी चाही। वकील
 वादी की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील
 वादी ने वाद पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तुदुमा
 की।

P.O
 डी.डी. 10


मैंने पत्रावली को अवलोकन किया वकील वादी की
 बहस पर मन्न किया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का
 अवलोकन किया। न्यायहित में वकील वादी का
 वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डी.डी. बहस वादी
 विक्रम प्रतिवादी खेरव्या 01 में इस आशय की जारी
 की जाती है कि ग्राम मादू परिवार हल्का मादू वहीसल
 माण्डल में स्थित निम्नोक्ति आराजियात विभाजन
 प्रस्ताव अनुसार वादी ऐव प्रतिवादी खेरव्या 01
 के नाम तक हिस्सेनुसार भूमि को राजस्व रेकार्ड
 में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं उसी
 अनुसार भूमि वादी ऐव प्रतिवादी खेरव्या 01 के
 नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे।


1. श्री हरिश कुमार पुत्र श्री देवीलाल चन्देस जाति खरीक
 सा. खरीक मौल्ला बागौर तहसील-माण्डल खातेदार

आराजी नं० रकबा किस्म अगान

595/1 0.2782 ई नहरी II 2.42



खिला 01 रकबा 0.2782 ई 0 नहरी II 2.42


 उपखण्ड अधिकारी
 माण्डल

नम्बर व
अहकाम
हुकम की
में जारी

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज


नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

श्री सोहन दत्तक पुत्र रामा दौली निवासी - भाद्रू तह
माण्डल सादेह स्वातेदार

<u>आराजी नं.</u>	<u>रकबा</u>	<u>क्लिम</u>	<u>लगान</u>
595/2	0.2782 ⁴⁰	बहरी II	2.42

खिता 01	रकबा 0.2782 ⁴⁰	बहरी II	2.42
---------	---------------------------	---------	------

उक्तानुसार ग्रामि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के
नाम हक हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करे।
तहसीलदार माण्डल उक्तानुसार ग्रामि राजस्व रिकार्ड
में अमल दरामद करे। तदनुसार डिर्की जारी हो।
रकबा फारिकेन अपना-अपना वहम करे। पजावली
फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

नम्बर ३
अहकाम
हुक्म की
में जारी

डिक्री

(आ० २० नियम ६ / जा०दी०)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान

वईजलास श्री मनोज

(आ००००००)

अन्वान प्रकरण

श्री हरीश कुमार vs श्री देवीलाल-चंदेव निवासी बागोर तहसील-माण्डल

वादी

बनाम

श्री सोहन इलक पुग श्री रामा देवी निवासी-भादू तहसील-माण्डल
राजस्थान राज्य जरिफ तहसीलदार माण्डल तहसील-माण्डल

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा ३३-५५... मुकदमा नं०/वर्ष ३२/२३... निर्णय दिनांक ७-५-२५

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी
मिनजानिब मुददई व श्री अम्बा लाल जाट Adlw मनलाभिव मुदाबला पेश होकर हुक्म
दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि वकील वादी का वादपत्र स्वीकार किया
जाकर डिक्री यहस वादी विकह प्रतिवादी सं० ०१ में इस आशय की जारी की
जाती है कि ग्राम भादू पटवार हल्का भादू तहसील माण्डल में स्थित विमोक्षित
आराजियात विभाजन पुस्ताव अनुसार वादी एंव प्रतिवादी सं० ०१ के नाम
हक हिस्से अनुसार भूमि को राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश
दिया जाता है। इसी अनुसार भूमि वादी एंव प्रतिवादी सं० १ के नाम राजस्व रेकार्ड
में दर्ज की जावे।


1. श्री हरीश कुमार vs श्री देवीलाल-चंदेव जातिस्वीक नि० रवीक मोहल्ला बागोर तह माण्डल

आराजी नं० रकबा डिस्म लगान

५९५/१ ०.२७८२ है० नल्ली २.५२

P-7-0

आज तारीख ७-५-२५ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

2. श्री सोहन दत्त कुशुग श्री रामा डोली निवासी- भाद्र तठ माडव
साहेबातेदार

<u>आराजी नं:</u>	<u>रेकॉर्ड</u>	<u>डिस्ट्रिक्ट</u>	<u>लंगान</u>
595/2	0-2782 हें	महरी II	2-42

उक्तानुसार भूमि वादी एंव परिवार सं००८ के नाम हक
हिससेनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज करे। तहसीलदार माण्डव
उक्तानुसार भूमि राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे। स्वर्चा
फरिदैन अपना-अपना वटेन करे।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डव